न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 86/2023

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0(पूर्व ए.यू. फाइनेन्सर (इंडिया) लि0) पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान तथा कार्यालय–जी–18, बापूजी मार्ग, आईओसी पैट्रोल पम्प के पीछे, सहकार मार्ग, जयपुर जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह मीणा

.... प्रार्थी/सिक्योर केडिटर

बनाम

1. श्री सतीश चन्द शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा (बोरोवर) पता–ग्राम ईन्टाका तहसील सिकन्दरा जिला दौसा राजस्थान–303326
2. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि गिर्राज शर्मा (को–बोरोवर) पता– 66 पुजारी ईन्टाका तहसील सिकन्दरा जिला दौसा राजस्थान–303326
3. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा (को–बोरोवर) पता– 66 पुजारी ईन्टाका तहसील सिकन्दरा जिला दौसा राजस्थान–303326
4. कैलाश शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा (को–बोरोवर) पता– 66 पुजारी ईन्टाका तहसील सिकन्दरा जिला दौसा राजस्थान–303326
5. गिर्राज प्रसाद शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा (को–बोरोवर) पता– ईन्टाका तहसील सिकन्दरा जिला दौसा राजस्थान–303326
6. दीनदयाल जांगिड पुत्र रामधन जांगिड (गारन्टर) पता– ईन्टाका तहसील सिकन्दरा जिला दौसा राजस्थान–303326

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट ऋणी/जमानती से बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेकर बैंक को दिलवाये जाने हेतु ।

उपस्थित : श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक:28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 (पूर्व ए.यू. फाइनेन्सर (इंडिया) लि0) ने अप्रार्थी/ऋणी सतीश चन्द शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा व अन्य को 3,00,000/–(अक्षरे रूपये तीन लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 (पूर्व ए.यू. फाइनेन्सर (इंडिया) लि0) को सुना गया। हमने प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2)के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति संपत्ति मालिक सतीश चन्द शर्मा मोरगेज संपत्ति का विवरणः प्रोपर्टी सिच्वेटेड एट ग्राम ईन्टाका तहसील सिकन्दरा जिला दौसा राजस्थान कुल क्षेत्रफल 77 वर्गगज है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 (पूर्व ए.यू. फाइनेन्सर (इंडिया) लि0) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की स्थिति में आवश्यकता होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:31:37 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जिला कलेक्टर,दौसा

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा